प्रार्थीपाल – राजेन्द्रप्रसाद नि.सं. 223/07

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.9.24	पत्रावली पेश। दोनों उभय पक्ष उप स्थित। बहस दिनांक 18.9.24 को पेश हो [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	NOTED [signature]
18.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.9.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते * सीकर *
23.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 223/2007

1 प्रभुदयाल (नाम हजफ)
2 बनवारीलाल (फौत)
2/1 मणी देवी स्त्री स्व. बनवारीलाल
2/2 सुरेश पुत्र बनवारीलाल
2/3 महेन्द्र पुत्र बनवारीलाल
2/4 महेश पुत्र बनवारीलाल
2/5 केशु पुत्र बनवारीलाल
2/6 प्रताप पुत्र बनवारीलाल
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2/7 संतरा पुत्री बनवारीलाल स्त्री सुनील जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 सुरजाराम पुत्र ग्यारसीलाल
4 बरजी देवी स्त्र स्व. महावीर पुत्र ग्यारसीलाल
5 केशरचन्द पुत्र महावीर
6 रोहताश पुत्र महावीर
7 किशन पुत्र महावीर
8 कमलेश पुत्र महावीर नाबालिग जरिसे संरक्षक माता बरजी देवी स्त्री स्व. महावीर जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांटान

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 रामेश्वरदास (मृत)
1/1 श्रीमती कमला स्त्री रामेश्वर
1/2 दिनेश पुत्र स्व. रामेश्वर
1/3 सुरेश पुत्र स्व. रामेश्वर
जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/4 इन्द्रा पुत्री स्व. रामेश्वर स्त्री किशनलाल जाति जाट निवासी ढाणी रूडला तन गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
1/5 मन्जु पुत्री स्व. रामेश्वर स्व. रामचन्द्र दूधवाल जाति जाट निवासी दूधवालों का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 बालकिशन पुत्र मक्खनलाल चेतानी जाति महाजन निवासी नीमकाथाना जिला सीकर।
3 फुलाराम (मृत)
3/1 नाथी देवी बेवा फुलाराम
3/2 इन्द्राज पुत्र फुलाराम
जाति जाट निवासी शेजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3/3 शिमली पुत्री फुलाराम पत्नी रामनाथ जाति जाट
3/4 पुष्पा पुत्री फुलाराम पत्नी मेघाराम जाति जाट
निवासी अमरसर तहसील शाहपूरा जिला जयपुर।
3/5 सोनू पुत्री फुली पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी 42 चक पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3/6 सुनिता स्त्री स्व. रानू जाति जाट निवासी शेजीपुरा तहसील हनुमानगढ़
3/7 संजु पुत्र राजू नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सुनिता स्त्री राजु जाति जाट निवासी शेतीपुरा तहसील हनुमागढ़।

रेस्पोडेन्टान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमकाथाना
बसिलसिले मुकदमा उनवानी प्रभुदयाल आदि बनाम
रामेश्वरदास आदि मुकदमा नम्बर 112/2007 दावा
घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मणसिंह , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरूण कुमार गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 23.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 112/2007 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2147, 3148 व 3149/1 वाके ग्राम बन्धावाला भोपालपुरा तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावा विवादित आरजियात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

खसरा नम्बर 3148, 3149/1/3 तन ग्राम बन्धावाला भोपालपुरा का अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित करने व उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में था जो केवल मात्र विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जिसे विचारण न्यायालय ने ध्यानपूर्वक पढे बिना व समझे बिना ही विरूद्ध कानून अपने क्षेत्राधिकार से बाहर मानकर आदेश 07 नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत खारिज करने में गलती की है। अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 3147 तन बन्धावाला भोपालपुरा का ढलान पश्चिमी साईड में है जिसके कटाव की सुरक्षा हेतु अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान संख्या 3 ने पश्चिमी सीमा पर मिट्टी का डोल व पाल बना रखा है जिसका खसरा नम्बर 3148 व 3149/1/3 है जिस पर अपीलान्टान ने अपने बुजुर्गों के समय से जाटी व कैर के पेड लगा रखे है जिनकी कुदरती पैदावार लेते है तथा अपीलान्टान का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा तीनों खसरा नम्बरान की भूमि अपीलान्टान की कृषि जोत है जिनमें से खसरा नम्बर 3148, 3149/1/3 की खातेदारी अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में अंकित हो गयी जबकि उनका कब्जा नहीं रहा है और न ही उनका कब्जा होना संभव था। अतः अपीलान्टान को दावा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। विचारण न्यायालय ने इस समस्त तथ्यों को समझने का प्रयार किए बिना अपीलान्टान का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र की की इस्तदुआ संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 22.03.2007 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उक्त भूमि की बाबत जो विक्रय पत्र तहरीर कराकर तस्दीक करवाया है। वह वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शुन्य घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही है। रजि. विक्रय पत्र को अवैध व प्रभाव शुन्य करार दिये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में नहीं है तथा राज्य सरकार का परिपत्र भी इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है अतः विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 (डी) के तहत वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2013 रेव पेज 249, डीएनजे 2017 (1) पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र की की इस्तदुआ संख्या 2 में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 22.03.2007 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में उक्त भूमि की बाबत जो विक्रय पत्र तहरीर कराकर तस्दीक करवाया है वह वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शुन्य घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही है। रजि. विक्रय पत्र को अवैध व प्रभाव शुन्य करार दिये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है तथा राज्य सरकार का परिपत्र भी इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है अतः विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 (डी) के तहत वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इमसें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर